राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ. (ख) ( )/अलेसे–II/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री अश्विनी कुमार सोनी, लेखाकार (स.ले.अ.–II) तत्कालीन कार्यालय कोषाधिकारी ब्यावर (अजमेर) के विरूद्ध पुलिस थाना ब्यावर (अजमेर) में आई.पी.सी. धारा 306, में प्रकरण संख्या 506/2012 दर्ज होने पर गिरफ्तार किये के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 8400–405 दिनांक 29.06.2012 के द्वारा निलम्बित किया गया था।

माननीय अपर सेशन न्यायालय संख्या –3 ब्यावर जिला अजमेर ने प्रकरण संख्या 73/2012 में उनके आदेश दिनांक 01.05.2014 के द्वारा श्री अश्वनी कुमार सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त किया गया है।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक/क–3/97 दिनांक 17.07. 2010 के अनुसरण में श्री सोनी को प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के निर्णय के अध्यधीन निलम्बन से बहाल किया जाता है । निलम्बन से बहाली उपरांत उनका मुख्यालय निरीक्षण विभाग के अजमेर कार्यालय में किया जाता है । इस कार्यालय में उपस्थिति देने की तिथि से ही उनकी निलम्बन से बहाली प्रभावी होगी । साथ ही अग्रिम आदेशों तक श्री अश्विनी कुमार सोनी को भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग अजमेर में स.ले.अ. – II के पद का कार्य करने हेतु भी निर्देशित किया जाता है । निलम्बन अवधि के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा की गई अपील के निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :–एफ. (ख) ( )/अलेसे–II/23736-23744 दिनांक :– 28-10-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक, विधि एवं जांच कार्यालय
4. निदेशक, निराक्षण विभाग, जयपुर
5. श्री अश्वनी कुमार सोनी, लेखाकार (स.ले.अ.–II) तत्कालीन कार्यालय कोषाधिकारी ब्यावर (अजमेर)।
6. कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट हेतु एवं पी.आई.एस. में अपडेशन हेतु
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्रीमती सुनिता चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\sas-ii\usha ji\order.docx